रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935
No. 263] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013

सं. 37 (आर.ई. 2013)/2009–2014

विषय : उन मदों के निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार जो अन्यथा निर्यात हेतु निषिद्ध है।

फा.सं. 01/94/180/51/एएम 14/पीसी–4.—विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–I 2009–14 के पैरा 4.4.1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. मौजूदा पैरा 4.4.1 को मौजूदा पैरा 4.4.1(क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है।

2. उप पैरा (ख) को पैरा 4.4.1 के बाद निम्नानुसार जोड़ा गया है:

उन मदों के लिए प्राधिकार जो अन्यथा निर्यात हेतु निषिद्ध हैं

आईटीसी (एचएस) अनुसूची 2 के अध्याय 7 और अध्याय 15 के तहत शामिल मदें जो निर्यात के लिए निषिद्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत होंगी। प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड– I के पैरा 4.4.2 के अनुसार अधिसूचित सिऑन के तहत आयात–पूर्व शर्त मानदण्ड समिति द्वारा पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अधीन निर्यात की अनुमति होगी। आयात/निर्यात की अनुमति केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के माध्यम से होगी।

इन मदों के लिए जारी अग्रिम प्राधिकारों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) आयात खेप की निकासी की तारीख से 90 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि बढायी नहीं जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा और किसी प्रयोजनार्थ जॉब कार्य सहित आयातित कच्चे माल, के अंतरण की अनुमति नहीं होगी। निर्यात दायित्व के पूरा नहीं होने/निर्धारित मूल्य परिवर्धन के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, निर्यात दायित्व में कमी के तदनुरूप, लागू शुल्क और ब्याज के अलावा आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के पाँच गुना के बराबर दंड लगाए जाएंगे। इस मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड– I के पैरा 4.28 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:–उन मदों को ऐसे निर्यात के लिए लागू शर्तों के साथ विनिर्दिष्ट किया गया है जो निर्यात हेतु अन्यथा निषिद्ध हैं किन्तु अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत किया गया है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th November, 2013

No. 37 (RE- 2013)/2009-2014

Subject : Advance Authorization for export of an item which is otherwise prohibited for export.

F. No. 01/ 94 / 180 /51 / AM14 / PC-4.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in paragraph 4.4.1 of the Handbook of Procedures Vol. I, 2009-14 (RE 2012) :

1. Existing para 4.4.1 is re-numbered as para 4.4.1 (a)
2. Sub-para (b) is added after para 4.4.1(a) as under:

Authorization for items which are otherwise prohibited for export

Items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC (HS) Schedule 2, which are prohibited for export, shall be allowed to be exported under the advance authorization scheme. Export shall be allowed subject to pre-import condition under notified SION/prior fixation of norms by Norms Committee in terms of Para 4.4.2 of HBP Vol.1. Import/Export would be permitted only through EDI enabled ports.

The Export obligation period (EOP) of advance authorizations issued for such items will be 90 days from the date of clearance of import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported raw material, for any purpose, including job work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the applicable duty and interest. Provisions of Para 4.28 of HBP vol.1 shall not be applicable in this case.

Effect of this Public Notice: Items which are otherwise prohibited for exports but which have been permitted for export under the advance authorization scheme have been specified alongwith conditions applicable for such exports.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.